सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 74/15 — निर्णय दिनांकः—15.07.2019

1. मनीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चक 36 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रामस्वरूप
2. रविन्द्र

पिसरान लालचन्द जाति जाट निवासी 34 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19—09—2014
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 19—09—2014 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का रेस्पोडेन्ट्स को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 182/57 के किला नम्बर 6 तादादी 2 बिस्वा, किला नम्बर 15 तादादी 14 बिस्वा, किला

नम्बर 16 तादादी 1 बिस्वा, किला नम्बर 17 तादादी 8 बिस्वा, किला नम्बर 23 तादादी 3 बिस्वा, किला नम्बर 24 तादादी 19 बिस्वा एवं किला नम्बर 25 तादादी 1 बीघा कुल 4 बीघा 11 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 01—12—1988 को अपीलांट को आवंटित की गई थी। आवंटन पश्चात् से ही उक्त भूमि पर अपीलांट परिवार सहित काबिज काश्त है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि में से चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 182/57 के किला नम्बर 6, 15, 16, 17, 23 ता 25 में तादादी 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 19—9—2014 को अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है आवंटन अधिकारी द्वारा उपरोक्त आवंटन से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई ना ही राजस्व रिकार्ड की ही जॉच की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिल निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 604 व आरआरडी 1989 पेज 302 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटन अधिकारी से समक्ष वादग्रस्त भूमि चक चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 182/57 के किला नम्बर 6, 15, 16, 17, 23 ता 25 में तादादी 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किये जाने पर कि वादगत् भूमि रकबाराज व आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जहॉ तक अपीलांट के आवंटन का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट द्वारा कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—09—2014 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—08—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित होने के उपरान्त भी अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि चक 34 केवाईडी के मुरब्बानम्बर 182/57 की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि को स्माल पेच के रूप में आवंटन हेतु दिनांक 20—08—2014 को रामस्वरूप व रविन्द्र ने आवेदन पेश किया। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि आराजीराज दर्ज होने के बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया तथा पड़ौसी खातेदारों के बारे में रिपोर्ट पेश कर दी। दिनांक 03—09—2014 को पड़ौसी खातेदारों को नोटिस जारी किये गये तथा सात दिन के भीतर पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। पड़ौसी काश्तकारों द्वारा दावा नहीं करने पर दिनांक 19—09—2014 को रामस्वरूप व रविन्द्र पुत्र लालचन्द के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 01—12—1998 तथा उक्त आदेश से संबंधित पत्रावली की छाया प्रतियॉ पेश की गई, जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 182/57 का यही 4 बीघा 11 बिस्वा रकबा लघु पट्टी के रूप में अपीलांट मनीराम को आवंटित किया जा चुका था। उक्त आदेश खारिज करने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार एक ही भूमि को दो बार आवंटित किया गया है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2989 पेज 302 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in Rajasthan Canal Area) Rules, 1975 Rle 13 (5)(c) - Occupied land was not available for allotment- Order of allotment illegal because no notice was issued to appellant nor was he given any opportunity to show cause against proposed allotement. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है क्योंकि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि 26 वर्ष पूर्व स्मालपेच के रूप में अपीलांट को आवंटित की जा चुकी थी। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिया गया तर्क उचित नहीं है कि स्मालपेच के आसपास अपीलांट की कोई भूमि नहीं होने तथा पास में नहर होने के कारण अपीलांट को किया गया आंटन अवैद्य है। आवंटन के 25 वर्ष बाद भी उक्त आदेश को चुनौती नहीं देना तथा आवंटन निरस्त नहीं किया जाना उक्त आवंटन की वैधता की पुष्टि करता है।

आवंटन आदेश जारी होने तथा राशि जमा होने के 24 साल बाद भी उक्त आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अंकन न करना विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही है जिसकी जिम्मेवारी निर्धारित कीमत देकर भूमि क्रय करने वाले अपीलांट पर नहीं डाली जा सकती। आवंटन अधिकारी ने पूर्व आवंटन के रिकार्ड का परीक्षण किये बिना तथा मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना रेस्पोडेन्ट के साथ दुरभिसंधी करते हुए दोहरा आवंटन किया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—09—2014 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को किये गये पूर्व आवंटन की जॉच की जाकर आवंटन की शर्ते पूर्ण करने पर खातेदारी सनद् जारी करें व राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर